संख्या-148/2019/2203/22-2-2019-17(162)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 08 नवम्बर, 2019**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र विचित्र सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24537/प्रोबे0अनु0(2)-206/सला0समिति/ (एम 02-07-2019) दिनांक 08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र विचित्र सिंह, जो ग्राम डेरा भगवानपुर खादर वर्तमान तरबियतपुर सुम्माली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। जमीन संबंधी रंजिश में दिनांक 14.08.1999 को समय 02:30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में मोहन सिंह बंदी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर तथा हरजीत सिंह की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/99 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149 व 27ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.01.2019 तक 17 वर्ष 08 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करता है, बंदी की आयु लगभग 66 वर्ष 03 माह है। बंदी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। बंदी रिहाई उपरान्त भी अपराध कारित कर सकता है। बंदी के पारिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का उल्लेख करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बंदी के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राय देना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है, का उल्लेख किया है।

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी की आयु लगभग 66 वर्ष 03 माह होने, बंदी आपराधिक प्रवृत्ति का होने, भविष्य में पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, बंदी के पारिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, आदि का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की स्पष्ट संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 दण्डन न्यायालयके पीठासीन अधिकारी द्वारा संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह को उ0प्र0 जेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहन सिंह (बन्दी संख्या-14792) पुत्र विचित्र सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-148/2019/2203(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।